IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 3 July-September, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.22942167

ISSN : 3048-6971

वर्तमान भारतीय राजनीति में डॉ राम मनोहर लोहिया के विचारों की प्रासंगिकता

राज धारी यादव
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद आगरा
Email: yadavraj661@gmail.com

सार-: वर्तमान भारतीय राजनीति में डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं, जो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण (चौखंभा राज्य), और जाति-आधारित असमानता को समाप्त करने पर जोर देते हैं। उनके 'सप्तक्रांति' के सिद्धांत और भाषाई समानता के विचार आज के ध्रुवीकरण और भाषाई विवादों के दौर में प्रासंगिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। भारत में समाजवादी विचारधारा को एक आन्दोलन का स्वरूप प्रदान करने तथा उसे प्रभावी रूप से प्रचारित करने वाले चिन्तकों में डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे एक मौलिकवादी चिन्तक राजनीतिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री दार्शनिक तथा विधिवेत्ता लेखक के जीवन थे। सभी मोर्चों पर उन्होंने गहन चिन्तन किया तथा भारतीय परिस्थितियों के व्यवहारात्मक उपायों की समालोचना की आजीवन अन्याय का विरोध किया लेकिन उनके विचार असाधारण रचनात्मकता थे। एक निर्विवाद एवं सक्रिय राजनीतिज्ञ थे, किन्तु उनकी शैली एवं कार्यों के पति असाधारण लगाव था। उन्होंने समाजवाद के महान उद्देश्यों की भारतीय संदर्भों में व्याख्या की तथा उसे व्यावहारिक बनाया।

मुख्य शब्द: चौखम्भा राज्य, विकेन्द्रीकरण, सत्याग्रह, गैर कांग्रेसवाद, जाति-उन्मूलन, सप्त क्रान्ति, सामाजिक न्याय।

-: परिचय :-

डॉ. लोहिया के विचारों पर कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गांधी दोनों के विचारों का असाधारण प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने इनमें अद्भुत समन्वय स्थापित किया तथा इनके शाश्वत तत्वों को समाहित करते हुए नवीन- विचारों का विकास किया। डॉ. लोहिया के अनुसार इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है। कोई उभरा हुआ राष्ट्र उन्नति करते हुए शिखर पर पहुंच जाए। इस प्रकार राष्ट्र का उत्थान और पतन होता रहता है। उनका कथन था कि वर्ग एवं जातियों तथा विचार एक दूसरे प्रकृतियों एवं कमजोरियों को मध्य इतिहास में तब तक चलता रहेगा, जब तक कि मानवता में बुराई समाप्त नहीं हो जा ती। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि संसार में विवेकपूर्ण तरीके से मानव जाति की बहुरगी एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी।

डॉ. लोहिया, कार्ल मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं किन्तु उन्होंने चेतना को अधिक महत्वपूर्ण माना। सामान्य उद्देश्यों की साम्यवादी उद्देश्यों से अधिक उद्देश्य दोनों के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने भौतिकवाद में चेतनावाद के समावेश पर बल दिया।

डॉ. लोहिया के अनुसार इतिहास में जाति और वर्गों में संघर्ष होता रहता है। इसी से इतिहास की गति मिलती है। जातियों के रुप सुनिश्चित होता है, किन्तु वर्ग की आन्तरिक रचना शिथिल होता है। इन दोनों के बीच की पेन्टुलम के समान आन्तरिक क्रियाएं होते रहती हैं। इन्हीं में इतिहास की गति मिलती है। डॉ. लोहिया के अनुसार जातियों में सामान्यतः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है। जब कि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचण्ड शक्तियों के

प्रतिनिधि होते हैं। वर्ग संगठित होकर जातियों को रूप धारण कर लेते हैं और जातियाँ वर्गों में परिणत हो जाती है। मानव जाति का अब तक का इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आन्तरिक संघर्ष का इतिहास है।

डॉ. लोहिया का विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। इन्हें एशियाई तरीकों से ही हल किया जाना चाहिये। उनका कथन था कि "एशिया में जहां अधिक समस्याएं मुँह बाये खड़ी हैं, पश्चिमी ढंग के समाजवादी प्रयोगजात कदापि उपयोगी नहीं हो सकता एशिया में लोग रोटी के लिए अपने प्रजातान्त्रिक अधिकारों को बेचने के लिए तैयार हो जायेंगे। परम्परागत तरीके से सोने पर रोटी की समस्या के समाधान हेतु हमें पुंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना अनिवार्य दिखाई देती लगती है, किन्तु दोनों की अर्थव्यवस्था एक जैसी ही है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि पुंजी यदि निजी सम्पत्ति के रूप में प्रोत्साहन देता है तो साम्यवादी सार्वजनिक संपत्ति। पुंजी और सत्ता के केन्द्रीकरण दोनों में समान रूप है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण अन्ततः बेकारी को बढ़ा देता है।" डॉ. लोहिया मानते हैं कि यूरोप के मशीनों समाजवाद एशिया के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीब अधिक हैं। उनका कथन है कि परम्परागत आर्थिक विकेन्द्रीकरण से एशिया की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। यहाँ बड़ी मशीनों का स्थान पर गांधी के विचारों का अनुसरण करते हुए छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार कुटीर उद्योगों में धन भी लगेगा तथा बेरोजगारी भी दूर होगी। डॉ. लोहिया सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के पक्षधर और समाजवाद के संवैधानिक और विकासवादी निष्पादन करते हुए उसे एशिया के लिए अनुपयोगी मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक प्रजातान्त्रिकरण करके कम पुंजी से लगाई जाने वाली छोटी मशीनों को लगाकर, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा समाज सेवीकरण करके आर्थिक तथा राजनीतिक समाजीकरण करके एशियाई समाजवाद के स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. लोहिया कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे किन्तु वे साम्यवादियों से सहमत नहीं थे। साम्यवादियों की भूमिका को पुनर्विभाजन के लिए मजाक तथा निराश कृत्य मानते हैं। इसलिए भी साम्यवादियों से सहमत नहीं हो पाते थे, क्योंकि व्यवस्था में साम्यवादी, आर्थिक दरिद्रता को अस्त्र बनाकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करा देते हैं। अथवा उसे अनुचित दबाव डालते हैं। साम्यवादियों की पुंजीवादी की व्याख्या उनको स्वीकार्य न थी। वे संघर्ष की साम्यवादी पद्धति को भ्रष्ट अनैतिक मानते हैं।

समाजवाद में पूर्ण आस्था होते हुए भी डॉ. लोहिया का हिस्सा से चिढ़ थी। सच्चे गांधीवादी थे किन्तु उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में समाजवादी चिन्तन में गांधीवाद नीतियों के प्रमुख सिद्धान्तों का समावेश करने के लिए पूरा प्रयास किया समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गांधीवादी जन आंदोलनों को बहुत प्रभावी मानते थे। अहिंसा के सिद्धांत तो स्वीकार करते हैं किन्तु मन, वचन और कर्म से अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहते इसीलिए गांधी जी को स्वीकार नहीं कर पाते। अपने विरोधियों के लिए कटु भाषा का प्रयोग करने से संकोच नहीं करते।डॉ. लोहिया कहा करते थे कि राजनीति बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म बिना राजनीति कलही बन जाती है। वे धर्म को अल्पकालीन राजनीति तथा राजनीति को "अल्पकालीन धर्म" कहते हैं।

डॉ. लहिया सत्य का महत्व को उसके आध्यात्मिक मूल्य के कारण नहीं बल्कि समाज व्यवस्था के लिए उसकी उपयोगिता के कारण स्वीकार करते हैं। छल-कपट को हानिकारक मानते हैं। आलस्य कर्तव्य निष्ठा के अभाव तथा निष्क्रियता को अस्वस्थ एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक मानते हैं। वे समानता पर आधारित सामाजिक न्याय को सत्य मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर लोहिया के विचारों की उपादेयता भी कुछ कम नहीं है। उपभोक्तावाद व आर्थिक बाजारवाद के इस युग में जब महँगाई व आर्थिक संकट से राष्ट्र जूझ रहा है तो डॉ० लोहिया का 'दाम-बाँधो' सिद्धान्त इस निराकरण का सटीक प्रतीत होता है। भारतीय राजनीति में बढ़ते जातिवादी असर की तोड हमें लोहिया के 'जाति तोड़ों'

में दिखता है तो भारतीय भाषाओं के पतन के इस दौर में डॉ० लोहिया का 'अंग्रेजी हटाओ' और सीमापार से बढ़ते हिंसात्मक हमलों व आतंकवादी भय के माहौल तथा असुरक्षित सीमाओं के मद्देनजर डॉ० लोहिया का 'हिमालय बचाओ' मिशन पूर्व की अपेक्षा इस समय अधिक प्रासंगिक लगता है।

भले ही आज हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं किन्तु उसकी विसंगतियाँ हमारे सामने स्पष्ट हैं। डॉ० राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवादी का मतलब होता है जो निजी सम्पत्ति को बढ़ाने के बजाय सामूहिक या मुल्क की सम्पति को बढ़ाने की बात सोचे और करे। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जब खर्चीली व्यवस्था, राजनेताओं के ठाठ बाट, अपराधियों का संसद में पहुँचना, अर्थ का वर्चस्व, भ्रष्टाचार और घोटाला, कालाधन, अमीरी-गरीबी का अनुपात दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। यह निश्चित रूप से चिन्ता और चिन्तन का विषय है। इस दृष्टि से डॉ० लोहिया का जीवन दर्शन आज अधिक प्रासंगिक हो जाता है। राजनेताओं को उनके जीवन से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेना चाहिए। इससे देश की अखण्डता, एकता सुरक्षित रहेगी। समाज में संतुलन सामंजस्य और समता बढ़ेगी। क्षेत्र, क्षेत्रीयता, वर्ग धर्म, जाति, वंश, आदि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। डॉ० लोहिया की विचारधारा को हम अपने व्यक्तिगत, सार्वजनिक और राष्ट्रीय जीवन में आत्मसात् करें। यही उनके प्रति हमारी उचित श्रद्धांजलि होगी।

सत्ताधारी शासकों के लिए आतंक थे किन्तु गरीबों के हिमायती, शक्तिहीनों की शक्ति, बेजुबान लोगों की वाणी थे। वे एक साधारण मानव होते हुए भी 'महामानव थे। सुख-दुःख, करुणा, क्रोध, प्यार, अपमान, दर्द सभी का सामंजस्य था उनके व्यक्तित्व में। डॉ० लोहिया के व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं और नेतृत्व की क्षमता ने ही उन्हें भारत का महान नेता बनाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बहादुर, दबंग, विद्वान के साथ मानवता के अधिकार के सत्य और प्रतीक के रूप में डॉ० लोहिया सदैव स्मरण किये जायेंगे उन्होंने अपने व्यवहार से यह प्रमाणित किया था कि वे मनुष्य होने के अधिकारी हैं। आज के सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार देश पर और प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है तब डॉ० लोहिया जैसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार निर्भीक, साहसी, जुझारु, संघर्षशील, दूरदर्शी नेता की आवश्यकता है क्योंकि डॉ० लोहिया ने अपनी मृत्यु से पूर्व कहा था कि मेरे मरने पर रोना मत, मेरे सपनों को पूरा करना और आज वह समय आ गया है जब डॉ० लोहिया के सपने पूरे करने होंगे।

यद्यपि डॉ० लोहिया के समाज-दर्शन पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि "आज की युवा पीढ़ी अभी भी लोहिया से दूर है। वे विद्रोही युवा पीढ़ी तैयार करना चाहते थे। लेकिन आज जो पीढ़ी तैयार हुई है, उसके भीतर सामाजिक अन्याय को लेकर कहीं कोई विद्रोह नजर नहीं आता क्योंकि उसे डॉ० लोहिया का पाठ पढ़ने नहीं दिया गया। आज जिस आधुनिकता के अंधे दौर में हम शामिल हैं वह समस्या ही ज्यादा पैदा कर रहा है, सुकून नहीं दे रहा। डॉ० लोहिया ने जिस समाज दर्शन की बात की थी वह मानवता को सुकून देने वाला था। डॉ० लोहिया ने भौतिक समाजवाद की बात कही, राजनीतिक समाजवाद की बात कही, आर्थिक समाजवाद की बात कही, संवादपरक राजनीति की बात कही, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया।

यह छात्र राजनीति का बिल्कुल नकारात्मक चेहरा है। जबकि आधुनिक इतिहास पर नज़र डालें तो पायेंगे कि उसमें छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फ्रांस के छात्र आंदोलन से लेकर म्यांमार के छात्र आंदोलन तक छात्र राजनीति की रचनात्मक एंव परिवर्तनकारी भूमिका देखी जा सकती है। छात्रों ने गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में तो बढ़ चढ़कर भाग लिया ही है छात्रों द्वारा संचालित आंदोलनों की अलग से निर्णायक भूमिका भी रही है गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी बड़ी पार्टियों ने छात्र राजनीति को अपना गुलाम बना लिया है स्वतंत्रता केवल बाजार के हाथों खेलने की है। सर्वोच्च न्यायालय में जो गुहार लगाई गई और उससे जो लिंगदोह समिति बनी उसने पूरे देश के छात्र संघों की व्यवस्था को मृतप्राय कर दिया है इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि लोकतंत्र के तीनों अंग

कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका न सिर्फ छात्र संघों को खत्म करने की मुहिम में शामिल है बल्कि उसकी अगुवाई कर रहे हैं। जिस तरह से छात्र संघों और छात्र राजनीति को खत्म करने की संगठित मुहिम चलाई जा रही है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है क्या छात्रसंघों और छात्र राजनीति में अपराधियों लफंगों जातिवादी सांप्रदायिक क्षेत्रवादी तत्वों का बढ़ता दबदबा उन्हें खत्म करने के वाजिब कारण माना जा सकता है? क्योंकि अगर छात्रसंघों और राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को उन्हें खत्म करने का पर्याप्त कारण मान लिया गया तो हमें विधायिका संसद और विधानसभा के साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति को भी भंग और प्रतिबंधित करना पड़ेगा।

उ० प्र० में समाजवादियों की सरकार भी रही है, वरिष्ठ साहित्यकार गिरिराज किशोर ने इस पर लिखा था।कि वर्तमान सरकार से यह आशा तो नहीं की जा सकती है कि वह खांटी समाजवादी सरकार बन कर उभरेगी जैसे कि कांग्रेस ही कहां गांधीवादी बन पायी या ब० स० पा० ही कितनी अम्बेडकरवादी बन पायी है। केवल मूर्तियाँ लगा देना ही उनके सिद्धांतों पर चलना नहीं माना जा सकता। पर उत्तर प्रदेश के नये युवा मुख्यमंत्री नयी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए क्या यह संभव है कि वह डॉ० लोहिया जी की मान्यताओं और सिद्धान्तों पर गौर करेंगे।

उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों में समाजवादी दल की विजय ने अचानक डॉ० राममनोहर लोहिया की विचारधारा का स्मरण करा दिया। इसी के साथ अनेकों अनेक प्रश्न मस्तिष्क में उठने लगे हैं कि क्या प्रान्त में बनने वाली सरकारें डॉ० राममनोहर लोहिया जी के सिद्धान्तों को व्यवहारिक रूप दे पाएँगी? क्या उनकी कथनी और करनी डॉ० लोहिया के समान होगी? क्या वो अपने दागी व निरंकुश मन्त्रियों और कार्यकर्ताओं के प्रति डॉ० लोहिया जैसा नैतिक बल दिखा सत्ता से बाहर कर पायेंगे? क्या प्रशासकों की नियुक्तियों में प्रतिभाशाली लोगों का चयन कर पाएँगे? यद्यपि उनकी डगर जटिल है परन्तु प्रदेश की जनता की आशाएं भी अनन्त हैं। डॉ० राममनोहर लोहिया के विचार और संकल्प से उपजा उनका चिंतन, समाज को कुछ देने की और त्याग की भावना, जिससे युवाओं को निरंतर प्रेरणा मिलती थी और लोगों के मन को छू जाती थी। आज ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो देश के युवाओं को प्रेरणा दें। वास्तव में लोहिया जी के विचार और चिंतन आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आवश्यकता है उनके विचार और चिंतन पर शिद्दत के साथ मनन और गौर करने की।

उत्तर प्रदेश और बिहार में डा० लोहिया के दिखाये रास्ते से राजनीति में प्रवेश करने वालों की तूती बोलती है। हिन्दुस्तान की संसद में छात्र संघों के विषय में एक घण्टे की भी बहस नहीं होती। जबकि लगभग 100 सांसद ऐसे हैं जो छात्र संघों से निकले हैं और वे सत्ताधारी और विपक्षी दलों के अगली कतार के नेता व प्रवक्ता हैं। जयपाल रेड्डी और आनन्द शर्मा से लेकर अरुण जेटली, शरद यादव, सीताराम येचुरी और भी अनेकों नाम हैं। हर दल में कई अच्छे और बड़े नेता तो छात्र राजनीति के गर्भ से ही निकले हैं। लेकिन जैसे मध्यम वर्गीय स्त्री पुरुष अपनी माँ की उपेक्षा करने के दोषी दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही छात्र राजनीति के गर्भ से पैदा ये नेता अपनी बाद की पीढ़ी को राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी के रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। नतीजा यह है कि आज युवा शक्ति राजनीति में अपराध और तस्करी के रास्ते से आ रही है। जातिवाद और साम्प्रदायिकता के रास्ते में आ रही है अब ये तय हमें करना पड़ेगा कि डा० लोहिया के रास्ते पर वापस लौटा जाये या जो आत्महत्या का रास्ता है इस पर ही हम नई पीढ़ी को धकेलते चले जायें। डॉ० लोहिया ने विद्यार्थियों को जो विचार गोष्ठी के लिए जो विषय दिये हैं वे आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं।

आज हमने अपने आपको पूंजीवाद, साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच फंसा लिया है। इन तीनों से जब हम मुक्त होंगे तभी डॉ० लोहिया के संकल्प पूरे होंगे।

डा० लोहिया का मानना था कि 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सता की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए लेकिन सता को खुले सांड की तरह समाज को चरने-खाने के लिए छोड़ भी नहीं देनाचाहिए। युवाओं को सत्ता के संदर्भ में लगाम की भूमिका निभाने की क्षमता रखनी चाहिए। डा० लोहिया कहते हैं, "समाज और सरकार जब सडते जाते हों तब विद्यार्थी का धर्म है कि उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। एवं ऐसे प्रयत्न प्राप्त कष्ट भी सहना चाहिए। डा० लोहिया का कहना था कि अच्छा काम करने पर भी बदनामी क्यों होती है? क्योंकि बुरा काम करने वाले जो चाहे समझ या ईमानदारी की कमी के कारण बुराई करते हैं, नाराज हो जाते हैं। डा० लोहिया कहते हैं, "दिमाग के निर्माण के लिए आंदोलन, जुलूस, आम-सभा वगैरह-बैठक तथा न्याय-सभाएं। विचार बैठक और न्याय सभाओं में फर्क है। आज छात्र राजनीति में तीन दोष भयंकर रूप से प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय छात्र राजनीति इन दोषों के कारण डेंगू के मरीज जैसी हो गई है जिसमें जीवन बढ़ाने वाले रक्ताणु घटते चले जा रहे हैं। ये तीन दोष हैं सत्ता की वासना, जातिवाद और सांप्रदायिकता अपराधीकरण। अपराधीकरण या दबंगई छात्र राजनीति का सारांश बनता जा रहा है। जिसके कारण प्रो० सब्बरवाल की हत्या जैसी घटनाएं होती हैं।

भारत की पुनः एकता स्थापना में विश्वास--: डॉ. लोहिया भारत में विभाजन को परिस्थितियों वश स्वीकार किया गया विभाजन माना था। वे मानते हैं कि भारत प्रकृति से एक है। अतः खण्डित होने के बाद भी वह एक दिन पुनः अवश्य ही एक हो जाएगा।

डॉ. लोहिया ने चार स्तम्भों वाले राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने इस राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी मानी जाने वाली धाराओं का समन्वय करने का प्रयास किया था । इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव, मण्डल, प्रान्त तथा केन्द्र सभी के महत्त्व को स्वीकार किया गया है, तथा उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। इस राज्य में स्त्रियों का संगठन इस प्रकार किया जाएगा, कि सभी स्त्रिम्ब एक सूत्र में बंधे रहें। ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसा नौकरशाही सत्ता प्रकार पद समाप्त कर दिया जाएगा। डॉ. लोहिया मानते हैं कि कलेक्टर का पद या ऐसे पद केन्द्रीकरण की बदनाम संस्थाएं हैं। ऐसे पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।चौखम्बा राज्य में यह ध्यान रखा जाएगा कि,

1. सम्पूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का एक चौथाई भाग ग्राम मण्डल एवं नगर पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाए ।
2. पुलिस व्यवस्था इन ग्राम, मण्डल तथा पंचायतों के अधीन रहेगी।
3. जिलाधीश का पद समाप्त करके उसके सभी कार्य जिले के विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिए जाएंगे।
4. कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रकार की सम्पति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। यह सम्पति ग्राम, मण्डल, एवं नगर पंचायतों के अधीन रहेगी। तथा उन्हीं के द्वारा शासित रहेगी।
5. चौखम्बाराज में राजनीतिक प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रयास किये जाएंगे तथा छोटी मशीनों के अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा।
6. चौखम्बाराज का अगला पंचावा स्तम्भ विश्व राज्य होगा जो कि विश्वशांति की स्थापना की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।

डॉ. लोहिया मानते हैं कि उपरोक्तानुसार चौखम्बा राज्य के गठन से ही सामान्य व्यक्ति को स्फूर्ति प्राप्त होगी तथा लोकतत्रिक सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण एवं उनके व्यवहारिक स्वरूप को निखारने में प्रयासों को निरंतरता प्राप्त होगी।

डॉ. लोहिया अनुभव करते हैं कि किसी एक जुट कार्यक्रम के अभाव में भारत में प्रतिक्षेपक दल आपस में लड़ते रहते हैं। इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उन्होंने समाजवाद के सार्वभौम सात सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने की बात कही थी। ये हैं:

1. स्त्री पुरुष समानता को स्वीकृति,
2. जाति सम्बन्धी तथा जन्म सम्बन्धी असमानता की समाप्ति,
3. रंगभेद पर आधारित असमानता की समाप्ति,
4. विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण।5. व्यक्तिगत सम्पति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध, तथा उत्पादन में योजनाबद्ध वृद्धि।
6. व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध,
7. युद्ध के शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत को स्वीकृति।

विश्व संसद का समर्थन :-

डॉ. लोहिया ने वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिये विश्व संसद का समर्थन किया था। वे चाहते थे कि व्यक्त मताधिकार के आधार पर चुनी गई विश्व पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। इस पंचायत को समस्त राज्यों के युद्ध बजट का एक चौथाई अथवा पंचवा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। वे मानते हैं कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत की स्थापना संभव है।

डॉ. लोहिया ने निर्मुक्त शासन स्वीकार्य नहीं था। वे आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। वे आर्थिक राजनीतिक सत्ता को राज्य, प्रांत, जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चौखम्बा राज्य की स्थापना करना चाहते थे।

निष्कर्ष :-

डॉ. राममनोहर लोहिया पर मार्क्सवाद एवं गांधीवाद दोनों का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपनी निराली शैली में इन दोनों महान विचारधाराओं के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मूल चिंतन, निष्क्रियता, मौलिकता और अनूठा समन्वयवाद उनके व्यक्तित्व की सहज विशिष्टाएं हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक नई समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न देखा और उसे आधुनिक समाज को स्वीकार किया किन्तु उसमें भी सुधार करते हुए उसे और अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास किया। डॉ. लोहिया शांतिवादी होने के बावजूद प्रबल विद्रोही और महान क्रांतिकारी थे। आधुनिक भारत को इसी की आवश्यकता है।

संदर्भ:-

1. व्हील ऑफ हिस्ट्रीः राम मनोहर लोहिया।
2. मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्मः राम मनोहर लोहिया।
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तनः डॉ. वी.पी. वर्मा ।
4. आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तनः डॉ. पुरुषोत्तम नागर
5. शरद ओमकार लोहिया के विचार
6. जैन, डॉ. पुखराज भारतीय राजनीतिक चिंतन
7. मेहता, अशोक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म
8. पाण्डेय, रविप्रकाश आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास